भारत संघ व अन्य

बनाम

बशीर भाई आर.खिलीजी

16.05.2007

(न्यायाधिपतिगण ए.के.माथुर एवं तरूण चटर्जी)

सेवा विधि- पेंशन-अशक्त पेंशन-पदधारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अक्षम हो गया-सेवा से अक्षम- अशक्त पेंशन से इंकार किया गया- ग्रेच्युटी का भुगतान और जोखिम कोष से मासिक भुगतान के लिए निर्धारित राशि-पेंशन की मांग करने वाली रिट याचिका-उच्च न्ययालय ने पेंशन देने के निर्देश दिए- अपील पर, अभिनिर्धारितः पदधारी पेंशन का हकदार नहीं क्योंकि उसके पास 10 साल की न्यूनतम अर्हक सेवा नहीं थी-हालांकि, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, एक लाख रूपए की अनुग्रह राशि के भुगतान करने का निर्देश दिया गया- केन्द्रीय नागरिक सेवा (पेंशन), नियम 1972- नियम 38 व 49 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955।

प्रत्यर्थी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सशस्त्र कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कहीं भी सेवा करने के लिए अशक्त हो गया। उसे सेवा से अशक्त घोषित कर दिया गया था। अशक्त पेंशन के लिए उसके अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसने दस साल अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी। उसे सेवा उपादान और एक हजार रूपए प्रति माह का आवर्ती भुगतान जोखिम कोष से आजीवन दिया गया था। जब वह उपचार व चिकित्सीय परीक्षण में था उस अवधि के दौरान किए गए अधिक भुगतान के संबंध में एक राशि की वसूली का आदेश भी पारित किया गया। प्रत्यर्थी ने अशक्त पेंशन की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्ययालय ने रिट याचिका को मंजूरी दे दी। अतः, वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

अभिनिर्धारितः 1. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 का नियम 38 सपठित नियम 49 यह स्पष्ट करता है कि पेंशन की अर्हक सेवा दस वर्ष की है। इसलिए अर्हक सेवा के दस वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही उपादान राशि निर्धारित की जाती है। इसलिए, किसी भी प्रकार की पेंशन देने के लिए किसी को कम से कम दस साल की अर्हक सेवा में रहना पड़ता है। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी के पास न्यूनतम अर्हक सेवा नहीं है। इसलिए, प्राधिकारियों ने उसे अशक्त पेंशन देने से इंकार किया। लेकिन

उपादान की राशि निर्धारित की जाकर उसका भुगतान किया गया। [पैरा ३] [1065-जी, एच; 1066-ए]

2. प्रत्यर्थी को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए था। वह राशि जो चिकित्सीय उपचार के दौरान दी गई थी, उससे वसूल नही की जाएगी। चूॅकि प्रत्यर्थी अपने कर्तव्यो का निर्वहन करते हुये अपने दोनो कानो की हानि के कारण कही भी सेवा करने के लिए अयोग्य हो गया है, इसलिए परिस्थितियो की उपयुक्तता में, यह निर्देश दिया जाता है कि उसके जीवन निर्वाह के लिए एक लाख रूपये कि अनुग्रह राशि दी जाए।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 686/2005

गुजरात उच्च न्यायालय की अहमदाबाद पीठ के निर्णय व आदेश दिनांकित 04.02.2004 एस.सी.ए सं. 2806/1998 से

पी.पी मल्होत्रा, ए.स.जी. विनीत मल्होत्रा, सुनिता शर्मा, चेतन चावला, अपीलार्थियों की ओर से।

नीतू स्मिता दास और वी.एन.रघुपा, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय ए.के. माथु,र न्यायाधिपति के द्वारा दिया गया:

1. यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय की अहमदाबाद खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है। जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

(संक्षेप में, सी.आर.पी.एफ.), समूह, केन्द्र, गुजरात, गांधीनगर द्वारा दिनांक 26.04.1996 को पारित आदेश का रद्द कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी अशक्त पेंशन का हकदार है। जिसकी गणना नियमों के अनुसार की जा सकती है और उसे तीन महीने के भीतर 01.09.1991 से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित भुगतान किया जा सकता है।

2. इस अपील के निस्तारण के लिए जो संक्षिप्त तथ्य आवश्यक हैं, वे हैं, - प्रत्यर्थी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सशस्त्र कांस्टेबल के रूप में चयनित कर नियुक्त किया गया। वह अमृतसर (पंजाब) में आतंकवाद रोधी दस्ते में तैनात था। इसके बाद, उसे आतंकवादियों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में तैनात किया गया था। ड्यूटी के दौरान श्रीनगर में भारी बर्फबारी के कारण वह पायरोजेनिक मैनिन्जाइटिस और न्यूरोसेंसरी बहरेपन (द्वैपाक्षिक) से पीड़ित हुआ। नतीजतन, उसे जांच और उपचार के लिए एस.एम.एन.एस हॉस्पिटल में भेजा गया और वहां उसे 19.01.1990 से 14.02.1990 तक और उसके बाद बेस अस्पताल- 1, नई दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 17.3.1990 से 16.4.1990 तक भर्ती कराया गया। 'पायरोजेनिक मैनिन्जाइटिस विद् बी.आई. सेंसरी डेफनेस' के रोगी के रूप में विभिन्न अस्पतालों में उपचार करने के बावजूद, प्रत्यर्थी को ठीक नहीं किया जा सका और उसे सक्रिय कर्तव्य के लिए अयोग्य घोषित किया

गया। उसका मामला इस विचार के लिए भेजा गया कि क्या वह वैकल्पिक काम कर सकता है। लेकिन वह किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाने से सेवा हेतु अशक्त पाया गया। अंत में ग्रुप कमाण्डर सी.आर.पी.एफ. गांधी नगर कार्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.6.1991 द्वारा सेवा से दिनांक 01.7.1991 (एफ.एन) से, उसे अशक्त करार दिया गया। प्रत्यर्थी ने अशक्त पेंशन के लिए अनुरोध किया लेकिन वह उन्होंने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने दस साल की अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी। लेकिन उसे आदेश दिनांकित 12.12.1991 द्वारा आवर्ती भुगतान आजीवन एक हजार रूपए प्रतिमाह जीवन निर्वाह हेतु जोखिम कोष से देने के अलावा 4,140/-रूपए की सेवा उपादान राशि भी दी गई। प्रत्यर्थी ने सी.एस.ए नं. 12432 सन् 1994 याचिका गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष अशक्त पेंशन दिलवाए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की। परंतु 28.2.1996 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के पेंशन अभ्यावेदन पर पृथक से नियमों के अनुसार विचार किए जाने के उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए। यह भी देखा गया कि जोखिम निधि से पात्रता के अलावा अशक्त पेंशन के लिए प्रत्यर्थी की पात्रता का मामला अलग था। यदि जोखिम निधि से पात्रता, अशक्त पेंशन के समान थी, तो उस संबंध में तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाना चाहिए था। उक्त निर्देश के अनुसरण में, प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया गया और दिनांक 26.4.1996 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने 22,231/-रूपए की वसूली के आदेश के संबंध में भी एक अभ्यावेदन दिया।

इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रत्यर्थी को उपचार एवं चिकित्सा जांच के तहत रहने की अवधि के संबंध में अधिक भुगतान किया गया था। इस पर प्रतिवादी ने वर्तमान रिट याचिका दायर करके पुनः उच्च न्यायालय की शरण लेकर अशक्त पेंशन के लिए दावा किया। अपीलकर्ताओं ने इसका विरोध किया कि प्रत्यर्थी केन्द्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन नियम), 1972, के अनुसार अशक्त पेंशन का हकदार नहीं है क्योंकि उसने दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की थी। खंडपीठ ने अशक्त पेंशन से संबंधित नियम 38 पर विचार करने के बाद मत व्यक्त किया, चूंकि प्रतिवादी की निःशक्तता 100 प्रतिशत थी, इसलिए वह अशक्त पेंशन का हकदार था और दस साल की अर्हता सेवा की शर्त को प्रतिवादी को अशक्त पेंशन से वंचित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता था। खंडपीठ ने आगे कहा, चूंकि कर्तव्य पर रहते हुए प्रतिवादी को स्थाई दिव्यांगता का सामना करना पड़ा है, इसलिए उसे जो भी अतिरिक्त भुगतान किया गया है, उसकी वसूली नहीं की जानी चाहिए। इस आलोच्य आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई।

3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। इस विषय में कोई दो राय नहीं है कि प्रतिवादी को ऊंचाई(पहाड़ों) पर सेवा करते हुए 100 प्रतिशत निःशक्तता का सामना करना पड़ा। उसे पहले ही जोखिम कोष से एक हजार रूपए प्रतिमाह दिए जा चुके

हैं जो विशेष रूप से ऐसी दिव्यांगता के लिए आरक्षित है लेकिन जहां तक अशक्त पेंशन देने का प्रश्न है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है, पेंशन नियमों की योजना के अनुसार, यद्यपि यह कठोर हो सकता है। प्रत्यर्थी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक सिपाही होने के नाते, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 (इसके बाद '1955 के नियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), द्वारा शासित होता है। 1972 के पेंशन नियमों के अध्याय 5 में विभिन्न प्रकार की पेंशनों पर विचार किया गया है नियम 35 अर्हक सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नियम 36 समय पूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन से संबंधित है। नियम 37 निगम, कंपनी या निकाय में या उसके तहत समामेलन पर पेंशन से संबंधित है। अशक्त पेंशन से संबंधित नियम 38 इस प्रकार है:

"38. अशक्त पेंशन

(1) यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा से स्थाई रूप से अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त होता है तो, अशक्त पेंशन दी जा सकती है।

(2) अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाला सरकारी कर्मचारी अक्षमता का चिकित्सा प्रमाण पत्र निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारियों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:

(क) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी एवं ऐसे अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी जिसका वेतन, जैसा कि मूलभूत नियम 9(21) में यथा परिभाषित 2,200/- रूपए प्रतिमाह से अधिक, के मामले में चिकित्सा बोर्ड;

(ख) अन्य मामलों में, सिविल सर्जन या जिला चिकित्साधिकारी या समतुल्य चिकित्साधिकारी।

नोट 1.- सेवा के लिए अक्षमता का कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदक इस आशय का पत्र कि विभाग या कार्यालय प्रमुख आवेदक के इरादे से अवगत है, प्रस्तुत नहीं करता है। चिकित्सा प्राधिकारी को उस कार्यालय के, जिसमें आवेदक नियोजित है, कार्यालय या विभागाध्यक्ष द्वारा यह विवरण कि सरकारी अभिलेख में आवेदक की आयु क्या है, चिकित्सा प्राधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए और यदि आवेदक की आयु के लिए कोई सेवा पुस्तिका रखी जा रही है, तो उसमें अभिलिखित आयु चिकित्सा प्राधिकारी को सूचित की जानी चाहिए।

नोट 2.- जब एक महिला उम्मीदवार का परीक्षण किया जाना हो तब एक महिला चिकित्सक को चिकित्सा बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

(3) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रपत्र उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रपत्र 23 के अनुसार होगा।

(4) जहां उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने किसी सरकारी कर्मचारी को आगे की सेवा के लिए योग्य नहीं पाया हो या उसे जिस प्रकृति का कार्य वह करता है उससे कम श्रम साध्य प्रकृति की सेवा करने योग्य पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छुक हो, यदि निम्नतर पद पर नियोजित करने का कोई साधन ना हो, तो उसे

अशक्त पेंशन अनुज्ञात की जा सकेगी।''

नियम 39 क्षतिपूर्ति पेंशन से संबंधित है। नियम 40 अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन से संबंधित है। नियम 41 अनुकंपा भत्ता से संबंधित है। ये विभिन्न प्रकार की पेंशनें है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है। अध्याय 7 पेंशन की राशियों के विनियमन से संबंधित है। यह अध्याय इस बात से संबंधित है कि अर्हक सेवा में रखने के बाद राशि कैसे निर्धारित की जाएगी। नियम 48 तीस साल की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नियम 48(ए) बीस साल की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नियम 49 जो यहां हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार है:

''49. पेंशन की रकम

(1) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले

में सेवा उपादान की रकम अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित षट्मासिक अवधि के लिए आधे मास की परिलब्धियों की दर से परिकलित की जाएगी।

(2) (क) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार एेसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो तैंतीस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होता है, तो औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर गणना की जाएगी जो अधिकतम 4,500/-रूपए प्रतिमाह होगी।

(ख) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो इन नियमों के अनुसार तैंतीस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व, परंतु दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होता है, की पेंशन राशि खंड(क) के अधीन स्वीकृत पेंशन के अनुपात में होगी परंतु किसी भी दशा में पेंशन की राशि तीन सौ पिचहत्तर रूपए प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

खंड (क) या खंड (ब) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अशक्त पेंशन नियम 49 के उपनियम 2 के तहत स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन से कम नहीं होगी।

(3) अर्हक सेवाकाल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, संपूरित छःमाही अवधि माना जाएगा और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(4) खण्ड (क) या खण्ड (ब) के अधीन अंतिम रूप से अवधारित पेंशन की रकम, पूरे-पूरे रूपयों में अभिव्यक्त की जाएगी और

जहां पेंशन में रूपए का कोई भाग हो उसे अगले उच्चतम रूपए तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

(5) और (6) विलोपित।"

हम वर्तमान में नियमों के दो प्रावधानों से संबंध रखते हैं यानी नियम 38 और नियम 49,। नियम 38, जैसा की ऊपर बताया गया है, अशक्त पेंशन पर विचार करता है। इसमें प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अर्थात् यदि कोई पदधारी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण स्थाई रूप से अक्षमता के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो अक्षमता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रारूप संख्या 23 में, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए। यह सत्य है कि नियम 38 में अर्हक सेवा का उल्लेख नहीं किया गया है परंतु नियम 49 जो पेंशन की रकम से संबंधित है यह अभिनिर्धारित करता है कि एक सरकारी कर्मचारी जो दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होता है, उसकी सेवा उपादान राशि की गणना अर्हक सेवा की प्रत्येक पूरी की गई छःमाही अवधि के लिए आधे महीने के परिलब्धि की दर से की जाएगी। इसलिए, दस साल की न्यूनतम अर्हक सेवा का उल्लेख नियम 49 में किया गया है। 'अर्हक सेवा शब्द को पेंशन नियम के नियम 2(क्यू) में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है;

''(क्यू) अर्हक सेवा कर्तव्य पर रहकर या अन्यथा की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशनों और उपादानों के प्रयोजन के लिए लेखे में ली जाएगी;''

इस प्रकार, न्यूनतम अर्हता सेवा जो नियम 49 में उल्लिखित पेंशन के लिए आवश्यक है, दस साल है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न ज्ञापनों में अर्हक सेवा की व्याख्या की गई है। परंतु नियम 38 सपठित नियम 49 यह स्पष्ट करता है कि पेंशन के लिए अर्हक सेवा अवधि दस वर्ष की है और इसलिए, दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद उपादान राशि निर्धारित की जाती है। इसलिए, किसी भी प्रकार की पेंशन देने के लिए किसी को कम से कम दस वर्ष की अर्हक सेवा में रहना पड़ता है। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी के पास न्यूनतम अर्हक सेवा नहीं है। इसलिए प्राधिकारियों ने उसे अशक्त पेंशन देने से इंकार कर दिया। लेकिन उपादान की राशि निर्धारित की गई और उसका उसे भुगतान किया गया।

4. हम महसूस करते हैं कि, यह थोड़ा कठोर है कि एक पदधारी अपने कठिन कर्तव्यों का निवर्हन करते हुए पूर्णतः श्रवण शक्ति विहिन हुआ। इसलिए, प्रत्यर्थी को इसके लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए था। जोखिम कोष से उसे पहले ही प्रतिमाह एक हजार रूपए की राशि दी जा चुकी है जो विशेष रूप से ऐसी आकस्मिकता के लिए आरक्षित है। जहां

तक पेंशन का संबंध है, क्योंकि उसने दस साल की न्यूनतम अर्हता सेवा नहीं दी है, इसलिए उसके लिए यह स्वीकार्य नहीं होगी। हालांकि चिकित्सीय उपचार के दौरान उसे दी गई राशि 22,231/-रूपए उससे वसूल नहीं की जाएगी। इसलिए, हमारी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हैं। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

5. हालाँकि इस मामले से अलग होने से पहले हम महसूस करते हैं, चूंकि प्रत्यर्थी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने दोनों कानों की श्रवण शक्ति के हानि के कारण कहीं भी सेवा करने के लिए, अशक्त हो गया, इसलिए परिस्थितियों की उपयुक्तता में उसके जीवन निर्वाह के लिए कम से कम कुछ दिया जाना चाहिए और हम निर्देश देते हैं कि उसे एक लाख रूपए अनुग्रह राशि दी जाए। यह राशि इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को जारी की जाए।

के.के.टी. अपील स्वीकार की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक, न्यायिक अधिकारी मीना अवस्थी (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।